


सुजाता चतुर्वेदी, भा.प्र.से.



कार्यालय:

पुराना सचिवालय, पटना- 800015  
दूरभाष : 91-812-2215805 (कार्या.)  
फैक्स : 91-812-2217694  
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

असं० पत्र सं०-4-09/2017 366 /वि०, दिनांक 16.01.2018

सचिव (अवर)  
अवर सचिव (ले.)

15/1/2018

विषय :- बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को अविलम्ब राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य सचिव, विहार के पत्रांक-8978/वि०, दिनांक 17.11.2017 का निदेश करें, जिसके द्वारा सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुए, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है, उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराये जाने का निदेश दिया गया है। पुनः वित्त विभागीय पत्र संख्या-1144/वि०, दिनांक 20.11.2017-सह-पठित शुद्धि पत्र ज्ञापांक-1152/वि०, दिनांक 22.11.2017 के द्वारा बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करते हुए विभिन्न शीर्षों से संबंधित सूचना आपको उपलब्ध करा दी गई है।

उपरोक्त निदेश के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में पाया गया है, कि आपके विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंक खातों में संचित राशि के विरुद्ध समेकित निधि में जमा करायी गयी राशि, जो तन्मांकित है, अत्यंत नगण्य है :-

बैंक खातों में संचित राशि (रु० करोड़ में)	दिनांक 15.01.2018 तक समेकित निधि में जमा कराई गई राशि (रु० करोड़ में)
1.67	0.03

मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के विभिन्न बैंक खातों में संचित अव्यवहृत राशि, जिसका व्यय दिनांक 31.03.2018 तक संभव नहीं है, को अचूक रूप से राज्य की समेकित निधि में जमा कराते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन वित्त विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

निर्धारित तिथि तक उक्त राशि राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में जिलों/प्रमंडलों/विभागों के संबंधित कार्यालयों द्वारा कोषागार से संचालित वित्तीय संव्यवहार बंद कर दिया जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

सेवा में,

श्री चंचल कुमार,  
प्रधान सचिव,  
भवन निर्माण विभाग।

15.1.18  
(सुजाता चतुर्वेदी)

19/01/18

23/1/18

उप सचिव (कोषागार)  
भवन निर्माण विभाग  
244  
19/1/18

366  
17/1/18

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक- भवन/बजट-69-वित्त विभाग-01/2017-18 1135(अ) पटना दिनांक-...5.2.18.....

प्रतिलिपि- सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, बिहार तथा  
आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

W  
03/2/18  
(विनय कुमार)

उप सचिव

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

W